सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 295 राँची, मंगलवार, 7 आषाढ़, 1944 (श०) / 28 जून, 2022 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

30 अगस्त, 2019

संख्या-06/विविध-04/2019- 4678- महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड गवाहों की सुरक्षा एवं अभिरक्षा हेतु निम्न योजना बनाते हैं-

<u>लक्ष्य एवं उद्देश्य</u>- इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपराधिक वादों का अनुसंधान, अभियोजन एवं विचारण सुरक्षा के अभाव में आपराधिक हिंसा या अभियोग के द्वारा गवाहों को धमका कर या डरा कर साक्ष्य देने के लिए बाध्य करने के कारण पक्षपातपूर्ण नहीं हो। गवाहों को पूर्ण सुरक्षा का विश्वास दिलाने की आवश्यकता है ताकि वे आत्मविश्वास के साथ कानून लागू करने एवं न्यायिक अधिकारियों को सहयोग करने के लिए आगे आयें। इसका लक्ष्य उन सभी उपायों को चिन्हित करना है, जिसे गवाहों एवं उनके परिवार के सदस्यों के जीवन, प्रतिष्ठा एवं सम्पत्ति की सुरक्षा धमकी तथा खतरों से करने के लिए अंगीकृत किया जा सके।

<u>योजना की आवश्यकता एवं औचित्य</u>- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई आदेशों में गवाह सुरक्षा के महत्व पर बहुत बल दिया गया है। भा०द०वि० की धारा-195ए में अभियुक्त द्वारा गवाह को धमकी देने को आपराधिक आरोप माना गया है, जिसमें 07 (सात) वर्ष कारावास की सजा देय है। इसी प्रकार अन्य कानूनों

यथा किशोर न्याय (बालकों की देख रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, ध्यानाकर्षक संरक्षण अधिनियम, 2011, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (लै०अ०बा०स०) अधिनियम, 2012, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 और अनुसूचित जाति तथा जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में भी खतरों से गवाहों की सुरक्षा का प्रावधान है। तथापि अब तक समग्र रूप से गवाह सुरक्षा के मुद्दे को लक्षित करते हुए कोई औपचारिक रूप से गठित कार्यक्रम नहीं लाया गया है।

हाल के वर्षों में उग्रवाद, आतंकवाद एवं संगठित अपराध बढ़ गये हैं तथा वृहत्त एवं विविध रूप ले रहे हैं। इन अपराधों के अन्वेषण एवं अभियोजन के लिए यह आवश्यक है कि गवाह को अपराध न्याय प्रणाली पर पूर्ण विश्वास हो। अतः राज्य में गवाह सुरक्षा के मुद्दे को लक्षित करते हुए एक योजना तैयार करने की आवश्यकता है।

<u>योजना का प्रसार</u>- गवाह सुरक्षा गवाह को न्याय कक्ष तक पुलिस अभिरक्षा में ले जाने जैसा सरल हो सकता है या गवाही अभिलेखित करने के लिए आधुनिक संचार प्रणाली (जैसे-ओडियों/विडियों साधन) का प्रयोग किया जा सकता है। अन्य जटिल मामलों, संगठित अपराधी समूह से संबंधित, में गवाह सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट उपाय की आवश्यकता होती है, जैसे- गुमनामी, सुरक्षित घर में अस्थाई तौर पर निवासित करना, नई

पहचान देना एवं गुप्त स्थान पर गवाह को पुनर्स्थापित करना। तथापि किसी गवाह की सुरक्षा की आवश्यकता को उसके खतरे की धारणा और संवेदनशीलता के आधार पर मामलावार विचार करने की आवश्यकता है।

1. **<u>संक्षिप्त नाम एवं प्रवर्त्तन-</u>**

(क)-यह योजना ''झारखण्ड राज्य गवाह संरक्षण योजना, 2019''कही जायेगी।

(ख)-यह राजकीय गजट में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(ग)-यह पुरे झारखण्ड राज्य में प्रवृत्त होगी।

<u>भाग-I</u>

2. **<u>परिभाषाए-</u>**

(i)-**<u>''संहिता''</u>**से अभिप्राय है दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)य

(ii)-**<u>''गवाह की पहचान छुपाना''</u>**से अभिप्राय है एवं समाविष्ट है कि ऐसी परिस्थिति जो किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गवाह के नाम, पता एवं अन्य सूचनाएँ, जो अन्वेषण, विचारण एवं परीक्षण के बाद गवाह का पहचान बताता हो, के प्रकाशन या प्रदर्शन पर रोक लगाता हो;

(iii)-''सक्षम प्राधिकार''से अभिप्राय है प्रत्येक जिला में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित एक स्थायी समिति, जिसमें जिला के उपायुक्त सदस्य तथा जिला के पुलिस अधीक्षक इसके सदस्य सचिव होंगे।

(iv)-"परिवार के सदस्य"में गवाह के माता-पिता/अभिभावक, पति या पत्नी, लिव-इन पार्टनर, सहोदर भाई या बहन, बच्चे, पोते आते हैं;

(v)-"फार्म"से अभिप्राय है इस योजना के साथ अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न "गवाह संरक्षण आवेदन फार्म"य

(vi)-"गुप्त कार्यवाही"से अभिप्राय है वह कार्यवाही जिसमें सक्षम प्राधिकार/न्यायालय केवल उन्हीं व्यकितयों को भाग लेने की अनुमति देगा जिनका गवाह संरक्षण आवेदन पर सुनवाई एवं निर्णय या न्यायालय में बयान के क्रम में उपस्थित रहना आवश्यक है;

(vii)-"लाइव लिंक"से अभिप्राय है एवं समाविष्ट है एक लाइव वीडियो लिंक या अन्य ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा कोई गवाह, जो सशरीर न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं रहते हुए किसी मामले में बयान दे रहा हो या सक्षम प्राधिकार से बातचीत कर रहा हो;

(viii)-"गवाह संरक्षण उपाय"से अभिप्राय है योजना की धारा-7, भाग-III, भाग-IV एवं भाग-V में बताये गये उपाय

(ix)-"अपराध"से अभिप्राय है वे अपराध जिसमें मृत्यु या आजीवन कारावास या सात साल या उससे उपर की सजा देय हो, और वे अपराध भी जिसमें भा०द०वि० की धारा-354, 354ए., 353बी., 354सी., 354डी. एवं 509 के तहत् सजा देय हो;

(x)-"खतरा विश्लेषण प्रतिवेदन"से अभिप्राय है गवाह या उसके परिवार के सदस्यों का खतरे के प्रति अनुभूति की गंभीरता एवं सत्यत्ता का अन्वेषण करनेवाले जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा तैयार एवं समर्पित एक विस्तृत प्रतिवेदन। इसमें गवाह या उसके परिवार के जीवन, प्रतिष्ठा एवं सम्पत्ति को होनेवाले खतरे की प्रकृति का विशिष्ट विवरण के अतिरिक्त व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा दिये जा रहे धमकी, धमकी की सीमा, इसे कारित करने के पीछे मंशा, उद्देश्य एवं साधन का विश्लेषण सम्मिलित है।

इसमें खतरे की अनुभूति का वर्गीकरण के साथ उन विशिष्ट गवाह सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव रहेगा जिसे कार्यान्वित करना आवश्यक होगा।

(xi)-"गवाह"से अभिप्राय है कोई व्यक्ति जिसके पास अपराध से संबंधित सूचना या अभिलेख हो।

(xii)-"गवाह सुरक्षा आवेदन"से अभिप्राय है गवाह द्वारा गवाह सुरक्षा आदेश प्राप्त करने के लिए सदस्य सचिव के माध्यम से सक्षम प्राधिकार के समक्ष विहित फार्म में लाया गया आवेदन। यह गवाह, उसके परिवार के सदस्य, उसके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता या संबंधित अनुसंधानकर्त्ता/पुलिस निरीक्षक/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/कारा अधीक्षक के द्वारा लाया जा सकता है।

(xiii)-"गवाह सुरक्षा कोष"से अभिप्राय है इस योजना के तहत् सक्षम पदाधिकारी द्वारा पारित गवाह सुरक्षा आदेश कार्यान्वित करने हेतु किये गये व्यय को वहन करने के लिए गठित किया गया कोष।

(xiv)-"गवाह सुरक्षा आदेश"से अभिप्राय है सक्षम पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश जिसमें गवाह सुरक्षा उपायों को लागू करने का उल्लेख हो।

(xv)-"गवाह सुरक्षा कोषांग"से अभिप्राय है झारखण्ड पुलिस संगठन का प्रतिबद्ध कोषांग जिसे गवाह सुरक्षा आदेश को कार्यान्वित करने हेतु कर्त्तव्य सौंपा गया है।

भाग-II

3.-**खतरे की अनुभूति के अनुसार गवाह की श्रेणी:**

श्रेणी-"क"जहॉ अन्वेषण/विचारण या उसके बाद गवाह या उसके परिवार के सदस्यों के जीवन पर खतरा हो।

श्रेणी-"ख"जहॉ अन्वेषण/विचारण या उसके बाद गवाह या उसके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा, प्रतिष्ठा या सम्पत्ति पर खतरा हो।

श्रेणी-"ग"जहॉ खतरा मध्यम हो एवं अन्वेषण/विचारण या उसके बाद गवाह या उसके परिवार के सदस्यों की प्रतिष्ठा या सम्पत्ति का उत्पीड़न या धमकी का संबंध रखता हो।

4.-**राज्य गवाह सुरक्षा कोष:**

(क) गवाह सुरक्षा कोष नामक एक कोष होगा, जिससे सक्षम प्राधिकार द्वारा पारित गवाह सुरक्षा आदेश के कार्यान्वयन हेतु किये गये व्यय एवं अन्य संबंधित व्यय का वहन किया जायेगा।

(ख) गवाह सुरक्षा कोष में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे-

I. राज्य सरकार द्वारा वार्षिक बजट में किया गया बजट उपबंध।

II.गवाह सुरक्षा कोष में जमा करने हेतु न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा पारित आदेश/लगाये गये जुर्माने की राशि की प्राप्ति।

III. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त लोकोपकारक/दानशील संस्थाओं/संगठनों एवं व्यक्तियों से प्राप्त दान/अंशदान।

IV. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत् दी गई निधि।

(ग) यह कोष गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड द्वारा संचालित किया जायेगा।

5.-**सक्षम प्राधिकार के समक्ष आवेदन दाखिल करना:**

इस योजना के तहत् सुरक्षा आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन विहित फार्म में सहायक दस्तावेज, यदि कोई हो, के साथ सदस्य सचिव के माध्यम से संबंधित जिले के सक्षम प्राधिकार, जहॉ अपराध घटित हुआ है, के समक्ष दाखिल किया जा सकता है।

6.-**<u>आवेदन प्रसंस्करण की प्रक्रिया:</u>**

(क) सक्षम प्राधिकार के सदस्य सचिव को जैसे ही और जब आवेदन विहित प्रपत्र में प्राप्त होता है, उसके द्वारा तुरंत खतरा विश्लेषण प्रतिवेदन की मांग संबंधित पुलिस अनुमण्डल के प्रभारी पुलिस अधीक्षक/उपाधीक्षक से करने हेतु एक आदेश पारित किया जायेगा।

(ख) आसन्न खतरे के कारण होने वाले आकस्मिकता के आधार पर आवेदन के लंबित रहने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा गवाह या उसके परिवार के सदस्यों के अंतरिम सुरक्षा हेतु आदेश पारित किया जा सकता है।

बशर्ते की आवेदक एवं उसके परिवार के सदस्यों के जीवन को गंभीर एवं आसन्न खतरा की स्थिति में पुलिस को तुरंत सुरक्षा प्रदान करने में कुछ भी अवरोधक नहीं होगा।

(ग) खतरा विश्लेषण प्रतिवेदन पूर्ण गोपनीयता के साथ शीघ्र तैयार किया जायेगा एवं आदेश प्राप्ति के पाँच कार्य दिवस के अन्दर सक्षम प्राधिकार को प्राप्त कराया जायेगा।

(घ) खतरा विश्लेषण प्रतिवेदन में खतरा अनुभूति को श्रेणीबद्ध किया जायेगा और इसमें गवाह या उसके परिवार को समुचित सुरक्षा प्रदान करने हेतु सुरक्षा उपाय के सुझाव भी सम्मिलित होंगे।

(ड़) गवाह सुरक्षा आवेदन के प्रसंस्करण के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा गवाह और/या उसके परिवार के सदस्यों/नियोजकों या किसी अन्य व्यक्ति, जो योग्य प्रतीत हो, से विशेषकर व्यक्तिगत रूप में, और यदि संभव नहीं हो तो इलेक्ट्रोनिक साधनों के द्वारा गवाह के सुरक्षा आवश्यकता को सुनिश्चित करने के लिए बातचीत किया जायेगा।

(च) सक्षम प्राधिकार द्वारा गवाह सुरक्षा आवेदन पर सभी सुनवाई पूर्ण गोपनीयता बरतते हुए गुप्त कक्ष में किया जायेगा।

(छ) सभी आवेदन का निष्पादन पुलिस प्राधिकारियों से खतरा विश्लेषण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात पाँच कार्य दिवस के अन्दर कर दिया जायेगा।

(ज) सक्षम प्राधिकार द्वारा पारित गवाह सुरक्षा आदेश का कार्यान्वयन राज्य के गवाह सुरक्षा कोषांग या विचारण न्यायालय, जैसा मामला हो, के द्वारा किया जायेगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा पारित सभी गवाह सुरक्षा आदेशों के कार्यान्वयन की संपूर्ण जवाबदेही पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड पर होगी।

तथापि सक्षम प्राधिकार द्वारा पहचान बदलने और/या पुनर्वास के लिए पारित गवाह सुरक्षा आदेश का कार्यान्वयन गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड द्वारा किया जायेगा।

(झ) गवाह सुरक्षा आदेश पारित होने पर गवाह सुरक्षा कोषांग द्वारा एक मासिक अनुपालन प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकार के समक्ष दायर किया जायेगा।

(ञ) यदि सक्षम प्राधिकार द्वारा पाया जाता है कि गवाह सुरक्षा आदेश को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता है या इस संबंध में आवेदन लाया जाता है, और विचारण की समाप्ति पर, एक नया खतरा विश्लेषण प्रतिवेदन की मांग संबंधित पुलिस अनुमण्डल के प्रभारी पुलिस अधीक्षक/उपाधीक्षक से किया जायेगा।

7.-**<u>सुरक्षा उपायों के प्रकार:</u>**

आदेशित गवाह सुरक्षा उपाय खतरा के समानुपातिक होंगे एवं एक विशेष अवधि, एक बार में तीन माह से ज्यादा के लिए नहीं, होंगे। इसमें समाहित हो सकता है-

(क) यह सुनिश्चित करना कि अन्वेषण या विचारण के क्रम में गवाह और अपराधी आमने-सामने नहीं आये;

(ख) मेल और टेलीफोन कॉल्स का अनुश्रवण;

(ग) गवाह का टेलीफोन नम्बर बदलने या उसे गैर-सूचीबद्ध नम्बर देने के लिए टेलीफोन कम्पनी के साथ व्यवस्था करना;

(घ) गवाह के घर में सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा दरवाजे, सी0सी0टी0वी0, अलार्म, घेराबंदी आदि संस्थापित करना;

(ड़) उसे बदले हुए नाम या अक्षर के द्वारा संबोधित करते हुए गवाह का पहचान छुपाना;

(च) गवाह के लिए आपातकालीन स्थिति में संम्पर्क के लिए व्यक्ति;

(छ) गवाह के घर के करीब सुरक्षा एवं उसके चारों तरफ सतत् गश्त;

(ज) संबंधी के घर या नजदीक के शहर में अस्थाई रूप से निवास परिवर्तन;

(झ) सुनवाई की तिथि के लिए सरकारी वाहन का प्रबंध या राज्य वित्त पोषित वाहन और न्यायालय आने-जाने के मार्गरक्षक;

(ञ) गुप्त विचारण करना;

(ट) कथन एवं बयान के रिकॉर्डिंग के समय एक सहायक व्यक्ति के उपस्थित रहने की अनुमति देना;

(ठ) विशेष रूप से बनाये गये अतिसंवेदनशील गवाह अदालत, जिसमें लाईव वीडियो लिंक, गवाह एवं अपराधी के जाने के लिए अलग-अलग मार्ग के अतिरिक्त एक तरफा दर्पण एवं पर्दे के साथ गवाह के चेहरे के चित्र को बदलनें का विकल्प एवं गवाह के आवाज़ की श्रव्यता परिवर्तित करने की व्यवस्था हो, जिससे कि उसे पहचाना न जा सके, का प्रयोग;

(ड) विचारण के दौरान बिना स्थगन के दिन-प्रतिदिन के आधार पर शीघ्र बयान रिकार्डींग सुनिश्चित करना;

(ढ) गवाह सुरक्षा कोष से समय-समय पर गवाह को पुनर्वास, गुजारा या नया पेशा/व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए, जिसे आवश्यक समझा जाये, आवधिक वित्तीय सहायता/अनुदान देना;

(ण) कोई भी अन्य सुरक्षा उपाय जो आवश्यक समझा जाए;

8.-**<u>अनुश्रवण एवं पुनरीक्षण-</u>**

एक बार सुरक्षा आदेश पारित होने के बाद सक्षम प्राधिकार द्वारा इसके कार्यान्वयन का अनुश्रवण एवं पुनरीक्षण इस मामले में प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन के आलोक में किया जायेगा। यद्यपि सक्षम प्राधिकार द्वारा गवाह सुरक्षा आदेश का त्रैमासिक पुनरीक्षण गवाह सुरक्षा कोषांग द्वारा समर्पित मासिक अनुपालन प्रतिवेदन के आधार पर किया जायेगा।

भाग-III

9.-**पहचान की सुरक्षा-**

(क) किसी अपराध के अन्वेषण या विचारण के क्रम में पहचान सुरक्षा के लिए आवेदन विहित फार्म में सदस्य सचिव के माध्यम से सक्षम प्राधिकार के समक्ष दाखिल किया जायेगा।

(ख) आवेदन प्राप्ति के उपरांत सक्षम प्राधिकार के सदस्य सचिव द्वारा खतरा विश्लेषण प्रतिवेदन की मांग की जायेगी। सक्षम प्राधिकार द्वारा पहचान सुरक्षा आदेश पारित करने की आवश्यकता को सुनिश्चित करने के लिए गवाह या उसके परिवार के सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति जिसे योग्य समझता हो, का परीक्षण किया जायेगा।

(ग) आवेदन की सुनवाई के क्रम में गवाह की पहचान, जिससे गवाह के पहचाने जाने की संभावना बनती हो, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बतायी जायेगी। तत्पश्चात् सक्षम प्राधिकार द्वारा रेकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आवेदन का निष्पादन किया जायेगा।

(घ) सक्षम प्राधिकार द्वारा एक बार गवाह पहचान सुरक्षा के लिए आदेश पारित हो जाने पर, गवाह सुरक्षा कोषांग की यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि उस गवाह/उसके परिवार के सदस्यों की पहचान नाम/पितृत्व/व्यवसाय/पता/डिजिटल फूटप्रिन्ट्स सहित पूर्णतः सुरक्षित है।

(ड़) जब तक किसी गवाह की पहचान सक्षम प्राधिकार द्वारा पारित आदेश के द्वारा सुरक्षित है, गवाह सुरक्षा कोषांग के द्वारा गवाह द्वारा आपातकाल में संपर्क किये जाने वाले व्यक्ति का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

भाग-IV

10.-**पहचान का परिवर्तन-**

(क) सुयोग्य मामलों में सक्षम प्राधिकार के द्वारा, जहॉ गवाह से पहचान परिवर्तन के लिए अनुरोध प्राप्त है एवं खतरा विश्लेषण प्रतिवेदन के आधार पर, गवाह को एक नयी पहचान देने के लिए निर्णय लिया जा सकता है।

(ख) नयी पहचान देने में नया नाम/व्यवसाय/पितृत्व एवं इसका समर्थन करनेवाले अभिलेख जो सरकार के एजेन्सियों के द्वारा स्वीकार किया जाता हो, उपलब्ध कराना सम्मिलित है। नयी पहचान गवाह को वर्तमान में प्राप्त शैक्षणिक/व्यवसायिक/सम्पत्ति अधिकारों से वंचित नहीं करेगा।

भाग-V

11.-**गवाह का पुनर्वास-**

(क) सुयोग्य मामलों में सक्षम प्राधिकार के द्वारा, जहॉ गवाह से पुनर्वास के लिए अनुरोध प्राप्त है एवं खतरा विश्लेषण प्रतिवेदन के आधार पर, गवाह के पुनर्वास के लिए निर्णय लिया जा सकता है।

(ख) सक्षम प्राधिकार द्वारा गवाह की सुरक्षा, कल्याण एवं हित को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश या भारतीय संघ के क्षेत्र के अन्दर गवाह के पुनर्वास के लिए आदेश पारित किया जा सकता है। इस पर होनेवाले व्यय का वहन गवाह सुरक्षा कोष से किया जायेगा।

भाग-VI

12.-**गवाहों को योजना से अवगत कराना-**

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड द्वारा इस योजना का गहन प्रचार किया जायेगा। अनुसंधानक एवं न्यायालय द्वारा गवाहों को "गवाह सुरक्षा योजना"एवं इसके प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताया जायेगा।

13.-**अभिलेखों की गोपनीयता एवं संरक्षण -**

(क) पुलिस, अभियोजन विभाग, न्यायालय के कर्मचारी, दोनों पक्षों के अधिवक्ता सहित सभी हितधारकों द्वारा पूर्ण गोपनीयता बरती जायेगी एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में इस योजना के तहत् कार्यवाही से संबंधित कोई भी अभिलेख, दस्तावेज या सूचना किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ, विचारण न्यायालय/अपील न्यायालय को छोड़ कर और वह भी लिखित आदेश पर, साझा नहीं किया जायेगा।

(ख) इस योजना के तहत् कार्यवाही से संबंधित सभी अभिलेख उस समय तक संरक्षित रखे जायेंगे जब तक संबंधित विचारण या अपील कानून का न्यायालय के समक्ष लंबित रहेगा। विगत न्यायिक कार्यवाही के निष्पादन के एक वर्ष के बाद सक्षम प्राधिकार द्वारा अभिलेखों की स्कैन्ड सॉफ्ट कॉपी को संरक्षित करने के बाद हार्ड कॉपी को नष्ट कर दिया जायेगा।

14.-**व्यय की वसूली-**

गवाह द्वारा कूटरचित परिवाद दर्ज करने की स्थिति में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड द्वारा गवाह सुरक्षा कोष से व्यय की गई राशि की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारंम्भ की जायेगी।

15.-**समीक्षा -**

सक्षम प्राधिकार के निर्णय से गवाह या पुलिस प्राधिकारियों के असंतुष्ट होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार के द्वारा पारित आदेश के 15 दिनों के अन्दर समीक्षा आवेदन दर्ज किया जा सकता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सतीश कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अनुलग्नक-1

झारखण्ड राज्य गवाह संरक्षण योजना, 2019

के अन्तर्गत

गवाह सुरक्षा आवेदन प्रपत्र

(दोहरी प्रति में भरें)

सेवा में,

सक्षम प्राधिकार,

जिला-.....

आवेदन किसके लिए है (कृपया उपयुक्त को चिन्हित करें)-

1. गवाह सुरक्षा ☐

2. गवाह पहचान सुरक्षा ☐

3.नई पहचान ☐

4.गवाह पुर्नवास ☐

1	गवाह की विवरणी (बडे अक्षरों में) 1) नाम- ..... 2) उम्र- ..... 3) लिंग (पुरूष/महिला/अन्य)- ..... 4) पिता/माता का नाम- ..... 5) निवास का पता- .... 6) गवाह के परिवार के सदस्यों का नाम एवं अन्य विवरण जिसे धमकी मिल रही हो या जो अनुभव कर रहा हो-..... ..... 7) सम्र्पक हेतु विवरण (मोबाईल नं०/ ई०मेल-)- .....

2	अपराधिक मामले का विवरण- 1) प्राथमिकी संख्या-..... 2) धारा- ..... 3) थाना- ..... 4) जिला- ..... 5) डी०डी० नं०- (अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं होने की स्थिति में)- ..... 6) अपराधिक वाद संख्या (निजी वाद के मामले में)
3	अभियुक्त का विवरण (यदि उपलब्ध/मालूम हो) 1) नाम- ..... 2) पता- .... 3) फोन/मोबाईल नं०- ..... 4) ई-मेल आई०डी०.-.....
4	व्यक्ति का नाम एवं अन्य विवरण जो धमकी दे रहा हो/जिस पर देने का संदेह हो- ....
5	धमकी का नाम। कृपया दिये गये धमकी का संक्षिप्त विवरण विशिष्ट तिथि, स्थान, तरीका एवं प्रयोग किये गये शब्दों के साथ दें। .....
6	गवाह के द्वारा/के लिए प्रार्थित गवाह सुरक्षा उपाय का प्रकार- ....
7	अन्तरिम/तत्काल गवाह सुरक्षा आवश्यकता, यदि आवश्यक हो, का विवरण- ....

- आवेदक/गवाह अतिरिक्त पन्नें का प्रयोग अतिरिक्त सूचना देने के लिए कर सकता है।

.....

(पूरा नाम हस्ताक्षर सहित)

तिथिः- .....

स्थानः- .....

<u>शपथ</u>

1. मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं सक्षम प्राधिकार एवं गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्डतथा गवाह सुरक्षा कोषांग के साथ पूर्ण सहयोग करूँगा/करूँगी।

2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा इस आवेदन में उपलब्ध करायी गई सूचना जहॉ तक मुझे पता है एवं विश्वास है, सत्य एवं सही है।

3. मुझे जानकारी है कि यदि आवेदन में मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत पायी जाती है तो इस योजना के तहत् सक्षम प्राधिकार द्वारा मुझ पर गवाह सुरक्षा कोष से व्यय की गई राशि की वसूली मुझसे करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

.....

(पूरा नाम हस्ताक्षर सहित)

तिथिः- .....

स्थानः- .....